प्रेषक,

गिरिजेश कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 30 मार्च, 2020

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-83 में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत राज्यांश की धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) उ0प्र0 के पत्र संख्या-5/391/2020-5/118/2018-एस.बी.एम.(जी) दिनांक 25 मार्च, 2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-83 में आय-व्ययक में प्रावधानित धनराशि में से समायोजन किए जाने के पश्चात केन्द्रांश की धनराशि रू. 14013.79 लाख के सापेक्ष राज्यांश रू. 9342.52 लाख धनराशि अवमुक्त किए जाने का अनुरोध किया गया है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निर्गत योग्य मैचिंग राज्यांश की धनराशि **रू. 7542.41 लाख** की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/ बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22.03.2019 में उल्लिखित निर्देशों का कडाई से अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त होने पर उसके सापेक्ष राज्यांश के रूप में उक्त धनराशि केन्द्रांश की सीमा तक समायोजित की जायेगी।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0 का होगा।

(3) उक्त वित्तीय स्वीकृति जारी करने के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन(एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

(4) इस संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के विरूद्ध निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सम्पूर्ण विवरण/सूचनायें परीक्षण /सत्यापन हेतु समाज कल्याण विभाग को उपलब्ध कराई जाए।

(5) आंकड़ों की शुद्धता का दायित्व निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0 का होगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(6) भारत सरकार द्वारा निर्गत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की गाइड लाइन की व्यवस्था के अनुसार उक्त अवमुक्त धनराशि को यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा गोमती नगर लखनऊ में एस.एस.बी.एम एक्सट्रा बजटरी रिसोर्स (ई.बी.आर.) के खाता संख्या- 521302010064413 में अवमुक्त किया जाना है।

(7) भारत सरकार द्वारा निर्गत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की गाइड लाइन की व्यवस्था के अनुसार उक्त अवमुक्त धनराशि निर्धारित समयान्तर्गत जनपदों को अवमुक्त की जायेगी।

(8) उक्त धनराशि का व्यय एस0सी0एस0पी0 /टी0एस0पी0 के लिए भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देश के अनुसार किया जायेगा। उक्त धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना के क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर निर्गत मार्ग निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।

(9) प्रश्नगत योजना/कार्यक्रम हेतु पूर्व में स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि की उपयोगिता/समायोजन निदेशक, पंचायतीराज द्वारा किया सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) धनराशि के आहरण के सम्बन्ध में मितव्ययिता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं अन्य वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(11) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0-13 पर लेखाशीर्षक /मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

(12) उक्त धनराशि का व्यय उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर निर्गत विस्तृत मार्ग निर्देशों एवं स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) की गाइड लाइन की व्यवस्था के अनुरूप किया जायेगा।

(13) प्रश्नगत धनराशि के नियम संगत आहरण/व्यय तथा निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाने का दायित्व निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0 का होगा।

(14) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वस्तुतः जिन अनुदान/मदों हेतु अवमुक्त की जा रही है, उन्हीं में इसका व्यय अनुमन्य होगा। अन्य किसी अनुदान/मद में किया जाने वाला व्यय अनुमन्य न होगा।

(15) उक्त धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में भारत सरकार के पत्र संख्या- एस. 12011/3/2015- एस.बी.एम.(पार्ट-2) दिनांक 09.03.2020 में अंकित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(16) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

(17) भारत सरकार के पत्र संख्या- एस. 12011/3/2015- एस.बी.एम.(पार्ट-2) दिनांक 09.03.2020 द्वारा ई.बी.आर. हेतु कुल धनराशि रू. 105050.00 लाख अवमुक्त किया गया है, जिसके सापेक्ष राज्यांश निर्गत किया जा रहा है तथा पूर्व में निर्गत केन्द्रांश का समायोजन भी किया जा रहा है।

(18) निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0 द्वारा स्वीकृति की प्रत्याशा में निर्गत केन्द्रांश की अवशेष धनराशि का समायोजन करते हुए राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-14 में आय-व्ययक में प्रावधानित धनराशि में से समायोजन किए जाने के पश्चात धनराशि रू. 14013.79 लाख के सापेक्ष राज्यांश धनराशि रू. 7542.41 लाख (रू. पचहत्तर करोड़ बयालीस लाख इकतालीस हजार मात्र) को लेखाशीर्षक "2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 01- केन्द्र प्रायोजित योजनाए-0103-स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत स्वच्छ शौचालय का निर्माण (जिला योजना) (के.60/रा.40/के.+रा.)-20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- प्रश्नगत व्यय के दौरान वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/ बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22.03.2019 की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0-ई-2-339 /x-20 दिनांक 30.03.2020 मे प्राप्त सहमति के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(गिरिजेश कुमार)
अनु सचिव।

<u>संख्या तथा दिनांक उपरोक्त।</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग,उत्तर प्रदेश शासन।
3- मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) उ0प्र0 को उनके पत्र संख्या-5/391/2020-5/118/2018-एस.बी.एम.(जी) दिनांक 25 मार्च, 2020 के क्रम में।
4- समस्त जनपदों के जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी उ0प्र0।
5- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-3/वित्त (बजट) अनुभाग-2/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2
7- बजट प्रकोष्ठ /कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।
8- एन0आई0सी0 की प्रति।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजेश कुमार)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in